संख्या-63/2017/945/26-3-2017-100(115)/99

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 26 अप्रैल, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 05 माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) हेतु स्वीकृत लेखा अनुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0,लखनऊ के पत्रांक-16/1-29/2016-17/बजट/शो0प्र0सं0, दिनांक-12.04.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक-20.03.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 में लेखाशीर्षक-"2225-02-796-19-अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाये" में संचालित कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष स्वीकृत लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम 05 माह (माह अप्रैल से माह अगस्त 2017 तक के लिये) हेतु कुल रूपया-135.46 लाख (रूपये एक करोड़ पैतिस लाख छियालिस हजार मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि रू0 (लाख में)

राजस्व लेखा अनुदान संख्या 81- समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-19-अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें-	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2017-18	प्रथम 05 माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक के के लिये) स्वीकृत धनराशि
01-वेतन	252.73	105.30
02- मजदूरी	2.50	1.04
03- मँहगाई भत्ता	12.64	5.26
04- यात्रा व्यय	3.00	1.25
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.40	0.17
06- अन्य भत्ते	13.63	5.68
07- मानदेय	1.50	0.63
08- कार्यालय व्यय	1.50	0.63
09- विदयुत देय	1.00	0.42
10-जलकर/जलप्रभार	0.05	0.02
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.60	0.25
12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	2.00	0.83
13- टेलीफोन पर व्यय	0.35	0.15

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	2.92
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.21
18- प्रकाशन	0.50	0.21
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.04
22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.20	0.08
41- भोजन व्यय	1.88	0.78
42- अन्य व्यय	0.30	0.13
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.37	0.15
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.42
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.21
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	0.83
49- चिकित्सा व्यय	3.50	1.46
51- वर्दी व्यय	0.10	0.04
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय	15.24	6.35
योग	**325.09**	**135.46**

(1)- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2)- उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(3)-उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4)- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5)- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.03.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-63/2017/945(1)/26-3-2017-तददिनांक-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

4-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3

5-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

7-गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।